वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम(म.प्र.क्षेत्र), "पंचदीप भवन" नंदानगर इन्दौर–452 011

फोन–फेक्स 0731-2572560, ई–मेल

क.रा.बी.नि.(म.प्र.) क्षेत्र में द्वितीयक चिकित्सा उपचार हेतु गठबंधन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हितग्राहियों को निम्नलिखित केन्द्रो में एक वर्ष के लिए द्वितीयक चिकित्सा उपचार सुविधाएँ (Secondary Medical Care) उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थाओं के साथ गठबंधन व्यवस्था (Tie-up arrangement) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है :–

केन्द्र–1. भिण्ड (भिण्ड) 2 कोलार रोड़ (भोपाल), 3. बैरागढ़ (भोपाल) 4. नेपानगर (बुरहानपुर) 5. झीरी (बुरहानपुर), 6.धामनोद (धार) 7.घाटाबिल्लौद (धार), 8. डबरा (ग्वालियर), 9. रायरू (ग्वालियर), 10. होशंगाबाद (होशंगाबाद), 11. राऊरंगवासा (इन्दौर), 12. धरमपुरी (इन्दौर), 13.छै गांव माखन(खंडवा), 14. पंधाना (खंडवा),15. खरगोन (खरगोन), 16. निमरानी (खरगोन), 17. भीलगांव (खरगोन), 18. सतराठी (खरगोन),19. कैमूर (कटनी), 20.श्यामगढ़ (मंदसौर) 21. सुवासरा (मंदसौर), 22.मुरैना (मुरैना), 23. केलारस (मुरैना), 24. खोर–जावद (नीमच), 25. जावरा (रतलाम), 26. हुजूर (रीवा), 27. मैहर (सतना), 28 रामपुर बघेलन (सतना), 29. बुढ़ार (शहडोल), 30. बीना (सागर)।

अनुबंधित चिकित्सालयों को द्वितीय चिकित्सा प्रदान करने हेतु निम्नानुसार निश्चित भुगतान किया जावेगा :–

अ. मरीज के डिस्चार्ज के समय रू. 200/– प्रति मरीज औषधि के मूल्य एवं वितरण हेतु दिये जावेंगे। (द्वितीयक चिकित्सा हेतु भर्ती मरीज **CGHS Package/Non-package** दरों पर, यदि भर्ती मरीज को दिया गया उपचार **CGHS** लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हॉस्पिटल पैकेज रेट का 15% कटौत्रा करने के उपरांत देय होगा। स्टेंट का 15% एवं दवाईयों का 10% कटौत्रा उपरांत भुगतान देय होगा)।

ब. O.P.D. प्रकरणों में परामर्श, जांच एवं उपचार (औषधि का मूल्य एवं वितरण सहित) रू. 450/– प्रति विजिट, प्रति रोगी अनुबंधित चिकित्सकों को सेवा प्रदान करने हेतु दिया जावेगा।

उल्लेखनीय है कि Chronic illness जैसे–रक्तचाप, मधुमेह एवं ह्रदय रोग जैसी समस्याओं के लिए औषधियों कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं तंत्र से प्राप्त की जा सकेगी।

ऊपर वर्णित सभी केन्द्रों पर द्वितीयक चिकित्सा उपचार एवम् निदान का प्रदाय सी॰जी॰एच॰एस॰ दरों/ क॰रा॰बी॰ निगम द्वारा समय – समय पर जारी दिशा एवम् निर्देशों पर उपलब्ध रहेगा। उक्त केन्द्रों पर अनुबंध हेतु इच्छुक चिकित्सालय, अपने प्रस्ताव सहित अस्पताल विवरण, स्टॉफ सुविधाएं, संस्थागत चिकित्सा एवं पैकेज रेट तथा अन्य शासकीय संस्थानों से गठबंधन के विवरण आदि सहित वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नंदानगर, इन्दौर–452011 को **दिनांक 04.10.2016 की सायं 6:00 बजे तक** स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। आवेदन–पत्र निम्नलिखित वेबसाईट पर उपलब्ध है :–

www.esic.nic.in, www.esicmp.in

नोट–अपने आवेदन पत्र के लिफाफे पर "द्वितीयक चिकित्सा उपचार चिकित्सा जांच हेतु प्रस्ताव" आवश्यक रूप से लिखें।

वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त – म॰प्र॰, इन्दौर